Frequently Asked Questions
(बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न)
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020
****

अस्वीकरन: यह FAQ लैंगिक अपराध से बालकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए विशेष कानून के प्रति जन सामान्य में जागरूकता के उदेश्य से तैयार की गई है, इसे किसी भी रूप मे POCSO अधिनियम एवं नियम, 2020 के विकल्प या व्याख्या के तौर पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए| कृपया अधिनियम के कानूनी उपयोग एवं व्याख्या के लिए संबन्धित राजपत्र अधिसूचना को देखें|

प्रश्न : 1. पोक्सो (POCSO) क्या है?

उत्तर : लैंगिक अपराध जैसे की लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील साहित्य आदि से बालकों का संरक्षण करने के लिए भारत सरकार ने एक विशेष कानून बनाया है जिसे "**लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012**" (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) कहा जाता है | इस कानून को संक्षेप में पोक्सो अधिनियम /POCSO Act से जाना जाता है | यह अधिनियम 14 नवम्बर 2012 से सम्पूर्ण भारत में लागू है |

पोक्सो अधिनियम के तहत, अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त, लैंगिक अपराधों की स्पष्ट परिभाषा, त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना, शिकायत दर्ज करने से लेकर जांच और विचारण के दौरान सभी स्तर पर बाल अनुकूल प्रक्रियाएं समाविष्ट करने पर ध्यान देना, बालक की देखभाल एवं संरक्षण**,** दुर्व्यवहारियों को विभिन्न लैंगिक अपराधों के लिए 3 **साल तक के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक या मृत्यु दंड** और जुर्माने का दंड का प्रावधान है |

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020, 9 मार्च 2020 से सम्पूर्ण भारत मे लागू है |

प्रश्न 2: POCSO अधिनियम की क्या विशेषताएं है?
उत्तर: POCSO अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं :

- **18 वर्ष से कम उम्र** का प्रत्येक व्यक्ति बालक है |
- अधिनियम के तहत लैंगिक अपराध **लिंग तटस्थ** है अर्थात पीड़ित और अपराधी किसी भी लिंग का हो सकता है |
- **अनिवार्य रिपोर्टिंग** - लैंगिक अपराध किए जाने या आशंका की अपराध होने की संभावना है की जानकारी एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस को देना |
- **अनिवार्य रिकॉर्डिंग** - एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस द्वारा लैंगिक अपराध संबंधी सूचना को अनिवार्य रूप से दर्ज करना |
- चिकित्सीय परीक्षा एवं आपातकालीन **चिकित्सीय देखभाल |**
- बाल कल्याण समिति द्वारा बालक की **देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता का विस्तारपूर्वक आकलन|**
- जांच (Investigation) एवं विचारण (trial) की पूरी प्रक्रिया के दौरान बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को **सहायक व्यक्ति** (Support person) प्रदान करने का प्रावधान|
- जांच एवं विचारण के दौरान **बाल अनुकूल प्रक्रियाएँ |**
- **द्विभाषिए , अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ** और सहायक व्यक्ति से संबधित प्रावधान |

- त्वरित विचारण के लिए प्रत्येक जिले में **विशेष न्यायालय** की स्थापना |
- लैंगिक अपराध के अभियोजन के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय में **विशेष लोक अभियोजक** का प्रावधान|
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बालक को **विधिक सहायता** उपलब्ध करवाना|
- बंद कमरे (In Camera) मे न्यायालय द्वारा मामलें का विचारण|
- बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को **विशेष राहत** प्रदान करने संबंधी प्रावधान|
- बालक को अन्तरिम एवं अंतिम **प्रतिकर (मुआवजा)** का प्रावधान|
- **जुर्माने का भुगतान** पीड़ित को चिकित्सा और पुनर्वास के लिए किए जाने का प्रावधान|
- बालक की **निजता एवं गोपनियता** बनाए रखे जाने संबंधी प्रावधान |
- बालकों को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री की रिपोर्टिंग - SJPU, स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल **(cybercrime.gov.in)** |
- लैंगिक अपराध से सुरक्षा, रिपोर्टिंग, बालकों के अधिकार, कर्तव्य धारक की भूमिका इत्यादि से संबंधी प्रावधान एवं संबन्धित विभिन्न पहलुओं की जानकारी का **प्रचार प्रसार और क्षमता निर्माण|**
- बालकों के आवासीय संस्था या बालक की सुविधा प्रदान करने वाली संस्था जैसे स्कूल, क्रेच, खेल अकादमी या बालकों के नियमित संपर्क में आने वाले किसी भी संस्था द्वारा बालक के संपर्क में आने वाले प्रत्येक कर्मचारी, नियमित या संविदात्मक, शिक्षण या गैर- शिक्षण का समय समय पर **पुलिस सत्यापन और पृष्टभूमि की जांच** सुनिश्चित किया जाना |
- दिव्यांग जन के लिए दिव्यांगजन का अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत समुचित उपाय और देखरेख |
- पुलिस द्वारा POCSO अधिनियम या अन्य कानून के अधीन उपलब्ध हकदारियों (entitlements) एवं सेवाओं (services) के बारे जानकारी **Form A** के अनुसार सूचित किए जाना|
- पुलिस द्वारा बालक का **प्रारम्भिक आंकलन रिपोर्ट Form B** में FIR दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर पूरा किया जाना और बाल कल्याण समिति को सूचित किया जाना|
- अधिनियम के **क्रियान्वयन की निगरानी |**

प्रश्न 3 : POCSO अधिनियम के तहत लैंगिक अपराध क्या है एवं इन अपराधों के लिए दंड का क्या प्रावधान है?

उत्तर: POCSO अधिनियम के अनुसार, निम्नलिखित लैंगिक अपराध एवं सजा का प्रावधान किया गया है :

Offence (अपराध)	Punishment (दंड)	Section (धारा)
प्रवेशन लैंगिक हमला Penetrative sexual assault	• **न्यूनतम दस वर्ष का कारावास** जो कि आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है और जुर्माना 16 वर्ष से कम उम्र के बालक के साथ अपराध घटित होने पर: • **न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास** जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है जिसका मतलब उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा • जुर्माना युक्तियुक्त होगा और पीड़िता के चिकित्सा खर्च और पुनर्वास के लिए भुगतान किया जाएगा	3, 4

गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला Aggravated Penetrative Sexual Assault	• **न्यूनतम बीस वर्ष का कारावास** जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, जिसका मतलब उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा और जुर्माना या **मृत्युदंड** • जुर्माना युक्तियुक्त होगा और पीड़िता के चिकित्सा खर्च और पुनर्वास के लिए भुगतान किया जाएगा	5, 6
लैंगिक हमला Sexual Assault	**न्यूनतम तीन वर्ष का कारावास** जो **पाँच वर्ष तक बढ़ सकता है** और जुर्माना	7, 8
गुरुत्तर लैंगिक हमला Aggravated Sexual Assault	**न्यूनतम पाँच वर्ष का कारावास जो सात वर्ष तक** बढ़ सकता है और जुर्माना	9, 10
लैंगिक उत्पीड़न Sexual Harassment	तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माना	11, 12
अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग Use of child for pornographic purposes	न्यूनतम पांच वर्ष का कारावास और जुर्माना दूसरी या पुनः अपराध दोषसिद्ध होने पर न्यूनतम सात वर्ष का कारावास और जुर्माना अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग करने वाला यदि धारा 3 या धारा 5 या धारा 7 या धारा 9 में उल्लिखित अपराध करता है तो उसे इस उपधारा (1) में दी गई सजा के अतिरिक्त उक्त अपराध के लिए सजा दी जाएगी	13, 14
बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का भंडारण लेकिन उक्त सामग्री को नष्ट नहीं किया गया या निर्दिष्ट प्राधिकरण को रिपोर्ट नहीं किया गया stores or possesses pornographic material in any form involving a child, but fails to delete or destroy or report the same to designated authrority	पांच हजार रुपये से कम नहीं दूसरे या बाद के अपराध की स्थिति में, जुर्माना जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा	15(1)
रिपोर्टिंग के उद्देश्य जैसा कि निर्धारित किया जा	**तीन साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों**	S.15(2)

सकता है, या अदालत में सबूत के रूप में उपयोग के लिए के अलावा किसी भी रूप में बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का भंडारण या परिग्रहण, किसी भी तरीके से प्रसारण या प्रचार या प्रदर्शन या वितरण के लिए Stores or posseses pornographic material involving child for transmitting or propogating or displaying or distributing in any manner at any time except for the purpose of reporting, as may may be prescribed, or for use as evidence in court.		
किसी भी रूप में बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का भंडारण या परिग्रहण व्यावसायिक उद्देश्य के लिए Stores or possesses pornographic material in any form involving a child for commercial purpose	पहली सजा पर जो तीन साल से कम नहीं होगी, जो पांच साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माना या दोनों दूसरी या पुनः अपराध दोषसिद्ध होने पर स्थिति में, **न्यूनतम पाँच** वर्ष का कारावास जो की **सात साल तक बढ़ सकता है** और जुर्माना	S. 15(3)
किसी अपराध का दुष्प्रेरण (उकसाना)(Abetment of offence)	जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है If the act abetted is committed in consequence of the abetment, shall be punished with punishment provided for that offence.	S. 16/17

अपराध करने का प्रयास (attempt to commit an offence)	अपराध के लिए प्रदान किए गए कारावास की सबसे लंबी अवधि का आधा या जुर्माना या दोनों। Imprisonment of any description provided for the offence, for a term which may extend to one-half of the imprisonment for life or, as the case may be, one-half of the longest term of imprisonment provided for that offence or with fine or with both.	S. 18

POCSO अधिनियम के तहत अन्य अपराध एवं सजा:

Offence (अपराध)	Punishment (दंड)	Section (धारा)
अपराध की रिपोर्ट करने में विफलता, या पुलिस द्वारा अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने में विफलता **Failure to report** commission of offence under sub-section 1 of section 19 or section 20 OR failure to record offences	**<u>छह् महीने तक कारावास या जुर्माना या दोनों</u>** With imprisonment of either description which may extend to six months or with fine or with both. उक्त दंडात्मक प्रावधान बालक पर लागू नहीं होगा	S. 21(1)
किसी कंपनी या संस्था (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो) का भारसाधक व्यक्ति जो अपने अधीनस्थ के संबध में धारा 19(1) के अधीन किसी अपराध के किये जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा Any person , being in charge of any company (by whatever name called) who fails to report the commission of an offence under	**एक वर्ष तक कारावास और जुर्माना)** Imprisonment for a term which may extend to one year and fine.	S. 21(2)

section 19(1) in respect of a sub ordinate under his control		
किसी व्यक्ति को अपमानित करने या धमकी देने या बदनाम करने के इरादे से धारा 3,5,7 और धारा 9 के तहत घटित अपराध की झूठी शिकायत या गलत जानकारी Any person, who makes false complaint or provides false information against any person, in respect of an offence committed under sections 3,5,7 and section 9, solely with the intention to humiliate, extort or threaten or defame him	**<u>छह महीने तक कारावास या जुर्माना या दोनों</u>** बच्चे पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा Imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both. No punishment shall be imposed on child	S. 22(1)
किसी **बच्चे के खिलाफ झूठी शिकायत या जानकारी** यह जानते हुए कि यह गलत है, जिससे किसी भी अपराध में ऐसे बच्चे को पीड़ित किया जाएगा false complaint or provides false information against a child, knowing it to be false, thereby victimizing such child in any of the offences under this Act, shall be	एक वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों Punished with imprisonment which may extend to one year or with fine or with both	S. 22(3)
विशेष न्यायालय से अनुमति के बिना मीडिया में बच्चे की पहचान का	छह महीने से कम नहीं लेकिन जो एक साल तक या जुर्माना या दोनों Not less than six months but which may extend to one year or with fine or with both.	S.23

खुलासा Disclosure of identity of child in Media without permission from Special Court		

प्रश्न 4: लैंगिक अपराध की अनिवार्य रिपोर्टिंग क्या है?

उत्तर: POCSO अधिनियम की धारा 19(1) के तहत लैंगिक अपराध की अनिवार्य रिपोर्टिंग का अर्थ है की किसी व्यक्ति (जिसके अंतर्गत बालक भी है) को यह आशंका है की अधिनियम के तहत अपराध होने की संभावना है या यह जानकारी रखता है की ऐसा कोई अपराध किया गया है वह ऐसी जानकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) या स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराएगा |

प्रश्न 5: क्या अपराध की रिपोर्ट करने में विफलता पर बालक को किसी प्रकार की सजा हो सकती है ?

उत्तर : नहीं | POCSO अधिनियम की धारा 21(3) के तहत, अपराध की रिपोर्ट नहीं करने पर सजा का प्रावधान बालक पर लागू नहीं होता है |

प्रश 6 : क्या मीडिया, होटल, लॉज , हॉस्पिटल , क्लब, स्टुडियो और फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं (photographic facilities) को भी अधिनियम के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग की बाध्यता है ?

उत्तर : हाँ | POCSO अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटो चित्रण सुविधाओं का कोई कर्मी (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो या नियोजित व्यक्तियों की संख्या हो) के ध्यान में किसी भी माध्यम द्वारा, कोई सामग्री या वस्तु जो बालक के लैंगिक शोषण (जिसके अंतर्गत अश्लील साहित्य, लिंग संबंधी या बालक या बालकों के अश्लील प्रदर्शन शामिल है) , यथास्थिति, ऐसी जानकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) या स्थानीय पुलिस को उपलब्ध करने की बाध्यता है |

प्रश्न 7 : आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल से क्या तात्पर्य है?

उत्तर : POCSO नियम 2020 के नियम 6 के अनुसार, जब भी अधिनियम की धारा 19 के तहत स्थानिय पुलिस के अधिकारी या एसजेपीयू के अधिकारी को बालक के विरुद्ध लैंगिक अपराध घटित होने की सूचना मिलती है और वह अधिकारी संतुष्ट है की बालक जिसके विरुद्ध अपराध घटित हुई है उसे तत्काल चिकित्सीय देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता है, वह अधिकारी, सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर, ऐसे बालक को सबसे निकट के अस्पताल या चिकित्सीय सेवा सुविधा केंद्र में आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल के लिए ले जाने का प्रबंध करेगी |

यदि बालक के विरुद्ध प्रवेशन लैंगिक हमला; या, गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला; या, लैंगिक हमला; या, गुरुत्तर लैंगिक हमला किया गया हो तो तो पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए भेजा जाएगा |

प्रश्न 8: क्या बालक को आपातकालीन सेवा प्रदान करने से पहले क्या कानूनी दस्तावेज़ या मजिस्ट्रेट की अनुमति का होना जरूरी है?

उत्तर: आपातकालीन सेवा प्रदान करने से पहले कानूनी दस्तावेज़ या मजिस्ट्रेट की अनुमति का होना जरूरी नहीं है|

POCSO नियम 6 (3) के अनुसार, बालक को आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाला कोई भी चिकित्सक, अस्पताल या अन्य चिकित्सीय सुविधा केंद्र ऐसी सेवा प्रदान करने पूर्व आवश्यक दस्तावेज़ के रूप में कानूनी या मजिस्ट्रेट की अनुमति या अन्य दस्तावेज़ की मांग नहीं करेगा|

प्रश्न 9: चिकित्सीय परीक्षा , सहायता एव, देखभाल संबंधी क्या प्रक्रियाएं एवं प्रावधान है :

उत्तर : POCSOअधिनियम की धारा 27 के अनुसार बालक की चिकित्सीय परीक्षा, दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 164A के अनुसार की जाएगी|

- बालक की चिकित्सीय परीक्षा की जाएगी भले ही अधिनियम के तहत अपराध के लिए एफ़आईआर या शिकायत दर्ज हुई है या नहीं |
- बालक की चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता पिता या कोई ऐसा व्यक्ति जिसपर बालक का विश्वास या भरोसा हो, की मौजूदगी में होगी | यदि बालक के माता पिता या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति चिकित्सीय जांच के दौरान किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकता है तो चिकित्सीय जांच चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा नामित किसी महिला की उपस्थिती में की जाएगी |
- यदि पीड़ित बालिका है तो चिकित्सीय परीक्षा महिला डॉक्टर द्वारा ही की जाएगी|
- बालक की चिकित्सीय परीक्षा बालक की सहमति या बालक की ओर से सहमति प्रदान करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा सहमति के बाद ही की जाएगी|

POCSO नियम 2020 के नियम 6 के तहत चिकित्सीय सहायता और देखभाल संबंधी प्रावधान दिये गए है , जिनमे कुछ इस प्रकार है:

- पंजीकृत चिकित्सक बालक की स्थिति की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर SJPU या स्थानीय पुलिस को प्रस्तुत करेगा
- बालक की आपातकालीन चिकित्सीय सेवा बालक के माता पिता या कोई ऐसा व्यक्ति जिसपर बालक का विश्वास या भरोसा हो, की मौजूदगी मे इस प्रकार की जाएगी की बालक की निजता सुरक्षित रहे |
- यदि बालिका गर्भवती है तो पंजीकृत चिकित्सक बालक और बालक के माता पिता या संरक्षक या बालक को सहायता करने वाले व्यक्ति को गर्भ को चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 और किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार विभिन्न विकल्पों के बारे में परामर्श देगा
- यदि बालक ड्रग्स या नशीले पदार्थों के सेवन करने का शिकार पाया जाता है तो बालक की नशा मुक्ति कार्यक्रम तक पहुँच सुनिश्चित की जाएगी
- यदि बालक (विकलांग जन) दिव्यांग है तो दिव्यांगजन का अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत समुचित उपाय और देखरेख की जाएगी |

प्रश्न 10: पुलिस द्वारा बालक की जांच और बयान की रिकॉर्डिंग एवं मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के बयान दर्ज के दौरान बाल अनुकूल प्रक्रियाएं क्या है ?

उत्तर : अधिनियम के अनुसार, जांच के दौरान निम्न्लिखित बाल अनुकूल प्रकिया का पालन किया जाना है :-

- बयान बालक के निवास स्थान पर या उसकी पसंद के स्थान पर दर्ज किया जाएगा |
- बयान दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा |
- जहां तक व्यवहारिक होगा, बालक का बयान महिला पुलिस अधिकारी जो की उप निरीक्षक के पद से नीचे नहीं हो, द्वारा दर्ज की जाएगी |
- बालक द्वारा बोले गए बयान को उसी रूप में दर्ज करे |

- बालक का बयान बच्चे के माता पिता या ऐसे व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा या विश्वास हो, उनकी उपस्थिति में दर्ज होगा
- यदि आवश्यक हो तो, बालक को द्विभाषीय या अनुवादक की सुविधा दी जाएगी (द्विभाषीय एवं अनुवादक की सूची जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा बनाई जाएगी)
- मानसिक विकलांग बालक के लिए विशेष शिक्षक की सहायता या बालक से संवाद करने के तरीके से परिचित किसी व्यक्ति या विशेषज्ञ की सहायता तलाश की जाएगी |(ऐसे विशेषज्ञ या विशेष शिक्षक की सूची प्रत्येक जिले के डीसीपीयू द्वारा बनाया जाएगा)
- जहां भी संभव हो, बालक का बयान ऑडियो- विडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जाएगा |
- किसी भी कारण से, रात में किसी बालक को पुलिस स्टेशन में हिरासत मे नहीं रखा जा सकता है |
- बालक की जांच में, किसी भी हालत में, किसी भी समय बालक आरोपी के किसी भी प्रकार के संपर्क में नहीं आयेगा|
- मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 की बयान के समय, बालक का बयान, बालक द्वारा जैसा बोले हुए कथन को रिकॉर्ड किया जाएगा |
- पीड़ित के बयान की रिकॉर्डिंग के समय अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति की अनुमति नहीं है |

प्रश्न 11: क्या बालक एवं बालक के माता पिता या उनके प्रतिनिधि पुलिस द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट की कॉपी मिल सकती है ?

उत्तर: POCSO अधिनियम की धारा 25(2) के अनुसार, मजिस्ट्रेट द्वारा, बालक एवं बालक के माता पिता या उनके प्रतिनिधि को पुलिस द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट (धारा 173 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत) एवं धारा 207 के तहत निर्दिष्ट दस्तावेज़ की एक प्रति प्रदान की जाएगी |

प्रश्न 12: POCSO आधनियम के तहत विशेष अदालत क्या है ?

उत्तर : पोक्सो अधिनयम के तहत अपराधों के त्वरित विचारण के लिए, राज्य सरकार, मुख्य न्यायधीश उच्च न्यायालय से परामर्श कर, प्रत्येक जिले में विशेष अदालत (स्पेशल कोर्ट) की स्थापना करने का प्रावधान है (S. 28)

प्रश्न 13 : विशेष न्यायालय **द्वारा POCSO केसेस के विचारण के दौरान किस तरह की बाल अनुकूल प्रक्रियाएं अपनाता है ?**

उत्तर : अधिनियम के अनुसार, विशेष न्यायालय द्वारा मामले के विचारण के दौरान बाल मैत्रीपूर्ण प्रकिया का पालन किया जाना है जिसमे शामिल है :

- यदि आवश्यक हो तो, परीक्षण के दौरान, बालक को बारंबार ब्रेक (विराम) दे सकती है
- विशेष न्यायालय, अदालत मे बालक के परिवार के सदस्य या अभिभावक, दोस्त जिसमें बालक को भरोसा या विश्वास है, को अदालत में उपस्थित होने की अनुमति देकर बच्चे के अनुकूल माहौल बनाएगा|
- बालक को अदालत में बार बार नहीं बुलाया जाएगा |
- विशेष न्यायालय, विचारण के दौरान, बालक से आक्रामक पूछताछ या चरित्र हरण संबंधी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देगा और यह सुनिश्चित करेगी की अन्वेषण या विचारण के दौरान बालक की गरिमा हर समय बनी रहे |
- बालक की मुख्य परीक्षा (examination in chief), प्रतिपरीक्षा (cross examination) या पुनः परीक्षा (re-examination) अभिलिखित करते समय, विशेष लोक अभियोजक या अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत अधिवक्ता द्वारा बालक से पूछें जाने वाले प्रश्न विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा एवं विशेष अदालत पुनः उन प्रश्नो को बालक के समक्ष रखेगा |

- विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा की जांच या परीक्षण के दौरान किसी भी बालक की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है | विशेष न्यायालय, बालक के हित में बालक की पहचान प्रकट करने की आज्ञा दे सकती है
- विशेष न्यायालय, मामले का विचारण बंद कमरे में, बालक के माता-पिता या जिसमें बालक को भरोसा या विश्वास हैं की उपस्थिति में करेगा
- बालक की गवाही के दौरान, विशेष अदालत यह सुनिश्चित करेगा की बालक किसी भी प्रकार से आरोपी के सामने प्रदर्शित नहीं किया गया है , हालांकि, आरोपी बालक को सुन सकता है और अपने अधिवक्ता से संवाद कर सकता है |
- विशेष न्यायालय बालक का बयान विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या एकल दृश्य दर्पण या पर्दा या ऐसी ही अन्य उक्ति का उपयोग करके दर्ज किया जा सकता है

प्रश्न 14 : अधिनियम के अंतर्गत बाल कल्याण समिति द्वारा बालक का विस्तृत आकलन से क्या अभिप्राय है?

उत्तर: POCSO नियम 4(4) के अनुसार, जहां स्थानीय पुलिस या एसजेपीयू के अधिकारी को POCSO अधिनियम की धारा 19(1) के तहत सूचना मिली है और उसे यह युक्तियुक्त आशंका है की किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है या किए जाने का प्रयास किया गया है या अपराध होने की संभावना है और वह व्यक्ति बालक के साथ एक ही घर में या साझा घर मे रह रहा है, या बालक किसी बाल देख रेख संस्था में और माता – पिता के बिना रह रहा है, या बालक बेघर या माता पिता के बिना पाया जाता है ऐसी स्थिति मे, संबंधित स्थानीय पुलिस या एसजेपीयू, 24 घंटे के भीतर बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी | साथ में, लिखित कारण भी प्रस्तुत करेगी कि बच्चे को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है, और यह निवेदन करेगी कि बाल कल्याण समिति द्वारा बालक का विस्तार से आकलन किया जाए |

POCSO नियम 4(5) के अनुसार, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय अधिनियम के अधीन निहित अपनी शक्तियों अनुसार, SJPU या स्थानीय पुलिस द्वारा प्राप्त उपरोक्त रिपोर्ट के तीन दिनों के भीतर यह निर्धारण करेगी कि बालक को माता पिता की अभिरक्षा से या साझा घर से हटा लिया जाए एवं बच्चे को बाल गृह या आश्रय गृह में रखा जाना आवश्यक है ||

बाल कल्याण समिति उपरोक्त निर्धारण करते समय , बच्चे द्वारा व्यक्त की गई राय या विचार को वरीयता देगा साथ ही बच्चे के सर्वोत्तम हित का ध्यान रखेगा | ऐसा निर्धारण करने से पूर्व, जांच इस तरह से की जाएगी की बालक को अनावश्यक रूप से चोट या असुविधा नहीं पहुंचे |

प्रश्न 15 : POCSO नियम के अनुसार विशेष राहत से संबंधित प्रावधान क्या है राहत प्रदान करने की समय सीमा क्या है ?

उत्तर: POCSO नियम, 2020 के नियम 8 के तहत, बाल कल्याण समिति बालक को विशेष राहत देने के लिए जैसे कि भोजन , वस्त्र, परिवहन, और अन्य आकस्मिक आवश्यकता , यदि हो तो , उस स्थिति में अपेक्षित आंकलित राशि का तुरंत भुगतान करने के लिए निम्नलिखित के अधीन सिफारिश कर सकता है :

- धारा 357 ए के अधीन DLSA
- DCPU के अधीन निधि
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम ,2015 के अधीन रखी गई निधि

उपरोक्त आकस्मिक राशि का भुगतान बाल कल्याण समिति द्वारा प्राप्त सिफारिश के 7 दिनों में किया जाना है |

प्रश्न 16 : क्या बालक को विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है??

उत्तर: हाँ | POCSO अधिनयम की धारा 40 तहत बालक को अपनी पसंद के वकील की सहायता लेने का अधिकार है |

बालक को विधिक सहायता और मदद प्रदान करने के लिए, POCSO नियम, 2020 के नियम 7 के तहत, बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को विधिक सहायता और मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को सिफारिश करेगा और DLSA के द्वारा, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत बालक को विधिक सहायता और मदद प्रदान किया जाएगा |

प्रश्न 17 : सहायक व्यक्ति (सपोर्ट पर्सन) से क्या अभिप्राय है?

उत्तर: POCSO नियम, 2020 के नियम 2(f) के अनुसार, सहायक व्यक्ति (सपोर्ट पर्सन) से क्या अभिप्राय वो व्यक्ति है जो बाल कल्याण समिति द्वारा जांच (investigation) और परीक्षण (trial) की प्रक्रिया के दौरान बालक को सहायता प्रदान करने के लिए नियत किया गया व्यक्ति या अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में पूर्व-परीक्षण (pre-trial) या परीक्षण (trial) प्रक्रिया (process) के दौरान बालक की सहायता करने वाला कोई अन्य व्यक्ति।

प्रश्न 18 : क्या बालक को जांच एवं ट्राइल में सहायता के लिए सहायक व्यक्ति (support person) प्राप्त हो सकता है?

उत्तर : बाल कल्याण समिति, POCSO अधिनियम की धारा 19 (6) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त करने पर या नियम 4(5) के अधीन किए गए निर्धारण के आधार पर, बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या वह व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, की सहमति से जांच और परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान बालक को हर संभव तरीके से सहायता प्रदान करने के लिए एक **सहायक व्यक्ति** उपलब्ध करा सकता है |

प्रश्न 19: सहायक व्यक्ति कौन हो सकता है?

उत्तर:POCSO नियम 2020 के नियम 5(6) के अनुसार, सहायक व्यक्ति बाल अधिकारों या बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति या संगठन, या बालक की अभिरक्षा वाले बालक गृह या आश्रय गृह का अधिकारी या डीसीपीयू (DCPU) द्वारा नियुक्त व्यक्ति हो सकता है |

हालांकि इन नियमों की कोई बात , बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, को अधिनियम के अधीन कार्यवाही के लिए किसी व्यक्ति या संगठन की सहायता ले सकते है, उन्हें सहायता लेने से नहीं रोका जा सकता है|

प्रश्न 20 : बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, SJPU, स्थानीय पुलिस या सहायक व्यक्ति से क्या सूचना प्राप्त कर सकती है :

उत्तर : नियम 4(15) के अनुसार, SJPU, स्थानीय पुलिस या सहायक व्यक्ति द्वारा बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, को प्रदान की जाने वाली सूचना सम्मिलित है, किन्तु निम्नलिखित तक सीमित नहीं है :

i. सार्वजनिक और निजी आपातकालीन और संकटकालीन सेवाओं की उपलब्धता;
ii. आपराधिक अभियोजन में शामिल प्रक्रियात्मक कदम;
iii. पीड़ित के प्रतिकर लाभ (victim's compensation benefits) की उपलब्धता;
iv. अपराध के अन्वेषण की स्थिति (status of investigation) जहां तक पीड़ित को जानकारी देना उचित हो और जहां तक जांच में हस्तक्षेप न हो;
v. संदिग्ध अपराधी की गिरफ्तारी;
vi. संदिग्ध अपराधी के विरुद्ध चार्ज शीट फ़ाइल करना;
vii. न्यायालय की कार्यवाही की अनुसूची जिसमें या तो बालक का उपस्थित होना अपेक्षित है या वह भाग लेने का हकदार है;
viii. अपराधी या संदिग्ध अपराधी की जमानत (bail), निर्मुक्ति (release), निरोध (detention) की स्थिति;
ix. परीक्षण के पश्चात अधिमत (verdict) का प्रतिपादन;
x. अपराधी को अधिरोपित दंडादेश (sentence imposed)

प्रश्न 21 : क्या बाल कल्याण समिति, सहायक व्यक्ति से किस प्रकार के संबंध में रिपोर्ट की मांग कर सकता है ?

उत्तर: POCSO नियम 2020 के नियम 4(12) के अनुसार, बाल कल्याण समिति परीक्षण (ट्राइल) पूरा होने तक सहायक व्यक्ति से शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ पर केन्द्रित बालक की, परिवार की स्थिति, आघात से बचाव की दिशा में प्रगति सहित बालक स्थिति और देखभाल के संबंध में मासिक रिपोर्ट भी माँगेगा | बाल कल्याण समिति बालक की मनोवैज्ञानिक देखभाल और परामर्श सहित बालक को आवश्यकता- आधारित निरंतर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए, सहायक व्यक्ति के समन्वय से चिकित्सा देखभाल सुविधाओं के साथ संलग्न करेगा और बालक की शिक्षा को पुनः चालू करना या जारी रखना या अपेक्षित होने पर बालक को नए स्कूल में शिफ्ट करना सुनिश्चित करेगा |

प्रश्न 22: क्या सहायक व्यक्ति की सेवा समाप्त की जा सकती है?

उत्तर: POCSO नियम 2020 के नियम 4(11) के अनुसार, बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या वह व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, के अनुरोध पर बाल कल्याण समिति द्वारा सहायक व्यक्ति की सेवाएं समाप्त की जा सकती है| समाप्ती का अनुरोध करने वाले बालक को ऐसे अनुरोध का कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा|

विशेष अदालत को सहायक व्यक्ति की सेवा समाप्ति की सूचना लिखित में दी जाएगी |

प्रश्न 23 : पीड़ित को प्रतिकर (मुआवजा/ क्षतिपूर्ति) संबंधी क्या प्रावधान है ? :
उत्तर : POCSO अधिनियम की धारा 33(8) एवं नियम 2020 के नियम 9 के तहत, विशेष न्यायालय, बालक को उसके शारीरिक या मानसिक आघात के लिए या बालक के तत्काल पुनर्वास के लिए, अन्तरिम एवं अंतिम मुआवजा देने का आदेश कर सकती है |
विशेष अदालत खुद से या बालक द्वारा या उसकी ओर से फ़ाइल किए गए आवेदन पर, FIR दर्ज होने के बाद किसी भी स्तर पर तत्काल पुनर्वास के लिए अंतरिम क्षति पूर्ति प्राप्त करने का के लिए आदेश दे सकती है |

क्षतिपूर्ति तब भी दिया जा सकता है, यदि आरोप सिद्ध होता है या आरोप सिद्ध नहीं होता है या आरोपी को ढूंढा नहीं जा सका या उसकी पहचान नहीं हो पाती है |
राज्य सरकार, स्पेशल कोर्ट द्वारा जारी मुआवजा संबंधी आदेश का भुगतान आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर करेगा |

प्रश्न 24: विशेष न्यायालय द्वारा अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माने की रकम क्या पीड़ित को प्राप्त हो सकता है ?
उत्तर: POCSO (संशोधन)अधिनियम, 2019 के अनुसार, विशेष न्यायालय द्वारा अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माने का रकम पीड़ित को चिकित्सीय देखभाल एवं पुनर्वास के लिए पीड़ित को भुगतान किया जाना है |
POCSO नियम 2020 के अनुसार, जुर्माने की रकम जिसे पीड़ित को भुगतान किया जाना है, वास्तव में बालक को ही भुगतान हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए बाल कल्याण समिति DLSA के साथ समन्वय करेगा | DCPU, सहायक व्यक्ति की सहायता से बाल कल्याण समिति बालक का बैंक खाता खुलवाने की किसी भी प्रक्रिया के लिए पहचान की सबूत आदि की सुविधा प्रदान करेगा |

प्रश्न 25 : पोक्सो के मामले के विशेष न्यायालय द्वारा विचारण (ट्राइल) कब तक समाप्त किए जाने चाहिए?
उत्तर: धारा 35 के अनुसार, विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के तीस दिन के भीतर बालक की साक्ष्य को अभिलिखित किया जाएगा और विलंब के लिए, यदि कोई हो, विशेष न्यायालय द्वारा कारण रिकॉर्ड किया जाएगा | विशेष न्यायालय जहा तक संभव हो, अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से एक साल के भीतर विचारण को पूरा करेगा |

प्रश्न 26: पोक्सो अधिनियम के अनुसार, निजता एवं गोपनीय का क्या अर्थ है :

उत्तर : POCSO अधिनियम के तहत प्रावधान है की बालक की पहचान (नाम, पता, फोटो, पारिवारिक जानकारी, स्कूल, अड़ोस- पड़ोस या अन्य जानकारी जो पहचान प्रकट कर सकती है) पब्लिक मीडिया से संरक्षित किया जाएगा | [S .23) (S 24(5)]

विशेष न्यायालय द्वारा बालक के हित में बालक की पहचान प्रकट कर करने का निर्देश कर सकता है

प्रश्न 27 : बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री (child pornography) की सूचना की रिपोर्ट कहाँ की जानी है :
प्रश्न :पोक्सो नियम 2020 के नियम 11 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसे बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री मिली है या ऐसी किसी अश्लील सामग्री के बारे में जानकारी संग्रहित, वितरित, परिचालित, प्रसारित, प्रचार प्रसार की सुविधा प्रदान करने या प्रचारित या प्रदर्शित करने या वितरित होने या किसी भी

तरीके से प्रसारित होने की सूचना मिलती है, वह SJPU या स्थानीय पुलिस या जैसा भी मामला हो, साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर सामग्री की रिपोर्ट करेगा|

प्रश्न 28: बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध होने या अपराध होने की आशंका होने की स्थिति मे क्या करें? :

उत्तर: अधिनियम की धारा 19(1) के तहत, अपराध होने या अपराध होने की आशंका की जानकारी जिले के SJPU या स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचित करें |

उपरोक्त के अतिरिक्त, सहायता के लिए निम्नलिखित को सूचना दे सकते है या एवं संपर्क कर सकते है:

- CHILD LINE 1098
- NCPCR के POCSO E बॉक्स हेल्पलाइन नंबर 9868235077 टोल फ्री 1800115455
- राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- जिला बाल कल्याण समिति
- जिला बाल संरक्षण अधिकारी
- ग्रामीण/वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति
- रजिस्टर्ड सामाजिक संस्था